

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1837 व 1838 / 2014.....जिला.....

जयपुर.....

उनवान-मै. इन्टरनेट्स हार्ट केयर सेन्टर एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट प्रा.लि.जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवचन,जोन-तृतीय, जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.11.2014	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी के ओर से श्री डी. कुमार, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त दानों अपीले मय स्थान पत्र अपीलीय अधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के पृथक-पृथक आदेश दिनांक 15.10.2014, जो कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे "अधिनियम 1999" कहा जायेगा) की धारा 23 सपठित राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियमों, 1999 के नियम 20 के तहत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिनमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन, जोन-तृतीय,जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 21.08.2014 को अधिनियम की धारा 4(1),4(3),12, 15, 7(2) 34ए व 35 के तहत पारित निर्धारण आदेश वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अन्तर्गत आरोपित प्रवेश कर का 50 राशि जमा करवा दिये जाने के उपरान्त शेष बची राशियों की वसूली अपील निर्णय तक अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से शेष प्रवेश कर की राशि पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश कर अधिनियम को अल्ट्रा वायस घोषित किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी बाहर से कय किये गये 'एक्स रे एपरेटस व इक्वीपमेंट टर्मेडिकल डार्इनोस्टिक इक्वीपमेंट की श्रेणी में आने से एक प्रतिशत से कर देयता बनती है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त माल को इलेक्ट्रोनिक्स सामान मानते हुए 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया है,जो अविधिकहै। उनका कथन है कि उक्त माल का गमन आयात के कम में होने से प्रवेश कर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रथम-दृष्ट्या प्रकरणों में वसूली पर रोक लगाने के संबंध में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया गया। अतः प्रकरणों में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट कर,</p>	

बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने की स्थिति में, अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स रामगोपाल सत्यनारायण बनाम राजस्थान राज्य व अन्य डी.बी.सी.डब्ल्यू.पी क्रमांक 13765/2010 निर्णय दिनांक 01.12.2010 को प्रोद्धरित कर, कथन किया गया कि "अधिनियम, 1999" संवैधानिकता का बिन्दु माननीय शीर्ष न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष न्यायाधीन है। अतः ऊपर वर्णित माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, प्रकरण सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया गया। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा 1542/2011/जयपुर मैसर्स के.ई.सी.इण्टरनेशल लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र झोटवाडा, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-षष्टम, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2011 को उद्धृत कर स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण के संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.12.2010 मैसर्स रामगोपाल सत्यनारायण बनाम राज. सरकार खण्डपीठ- सिविल पिटीशन संख्या-13765/2010 में माननीय न्यायालय द्वारा सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर विचार किया गया है। इस संबंध में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, अपीलीय अधिकारी द्वारा देय कर राशि की 50 प्रतिशत राशि अपीलार्थी द्वारा जमा कराये जाने की शर्त पर 50 प्रतिशत कर की राशि, शास्ति व अनुवर्ती ब्याज की सम्पूर्ण राशि की वसूली के विरुद्ध रोक आज्ञा प्रदान कर, अधिकतम राहत प्रदान कर दी है, जो उचित एवम् न्यायसम्मत है। ऐसा ही मत विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उद्धरित अपील में कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अतः विवेचित तथ्यों के प्रकाश में, यह पीठ अपीलार्थी की अपीलों में इस प्रक्रम पर रोक संबंधी राशि के विषय में ऐसा कोई बल नहीं पाती कि उसे किसी अन्य राशि बाबत वसूली पर रोक आज्ञा प्रदान की जाये। लिहाजा, प्रस्तुत अपीलें व रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाते हैं। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की प्राप्ति के एक माह के भीतर अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)

सदस्य

2

(राकेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष